भारत सरकार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत मंत्रालय)

सेवा भवन (उत्तरी खंड) कक्ष सं. 622, छठा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 टेली फैक्स - 26103246, ई-मेल - <u>celegal-cea@gov.in</u> वेबसाइट - <u>www.cea.nic.in</u>

सार्वजनिक नोटिस

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.), विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 177 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 को अधिसूचित करने का प्रस्ताव करता है। हितधारकों से टिप्पणी हेतु उक्त प्रारूप विनियम, के.वि.प्रा. की वेबसाइट www.cea.nic.in पर उपलब्ध हैं। प्रारूप विनियमों का निरीक्षण 30 अक्टूबर,2024 तक 11:00 बजे से 16:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस को मुख्य अभियंता (विधि), के.वि.प्रा, कमरा नं. 622, सेवा भवन (उत्तरी खंड), छठा तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

2. सभी हितधारकों एवं आम जनता से प्रारूप विनियमों पर अपनी टिप्पणियां डाक अथवा ई-मेल (celegal-cea@gov.in) के जरिए मुख्य अभियंता (विधि), कमरा नं. 622, सेवा भवन, (उत्तरी खंड), 6वां तल, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066 को 30 अक्टूबर,2024 तक भेजने का अनुरोध किया जाता है।

(राकेश कुमार) सचिव, के.वि.प्रा.

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY NOTIFICATION

New Delhi, the , 2024

No.----- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 177 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Electricity Authority hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Authority (Procedure for Transaction of Business) Regulations, 2006, namely: -

- (1) These regulations may be called the Central Electricity Authority (Procedure for Transaction of Business) (1st Amendment) Regulations, 2024.
 - (2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Central Electricity Authority (Procedure for Transaction of Business) Regulations, 2006 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 12 (1), the following shall be substituted, namely: -
 - 12 (1) The quorum for the meeting shall be half of appointed Members (including Chairperson), with minimum of three Members. If any fraction that might arise, then the upper number shall be considered. If the Chairperson is unable to attend the meeting for any reason, the Members present shall choose one from among the full time members to preside over the meeting.

: